बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/C6-4(II)/2017

देहरादून : दिनांक : 12-जून, 2020

आदेश

एतत्द्वारा दून विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2009 के परिनियम–3(7) के अंतर्गत आदेश संख्या–3301, दिनांक 13–12–2019 द्वारा डॉ० अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार को उनके मूल पद के साथ–साथ छः माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, दून विश्वविद्यालय के कुलपति पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। इनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 13–06–2020 को पूर्ण हो रहा है।

शासन से नये नियमित कुलपति के चयन का पैनल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत दून विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2009 के परिनियम–3(7) के अन्तर्गत नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत डॉ0 अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वी०च०सिं०ग०उ०औ० एवं वा० विश्वविद्यालय, भरसार का दून विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर कार्यकाल दिनांक 14–06–2020 से अग्रेत्तर छः माह की अवधि तक अथवा कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

(बेबी रानी मौर्य)
कुलाधिपति।

संख्या 390 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C6-4(II)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
4. डॉ0 अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल
5. कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल।